राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

प्रशिक्षित--

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, ब्रह्मांडार निरोधक भृतरी, राजस्थान।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, ब्रह्मांडार निरोधक भृतरी, राजस्थान।
5. समस्त लोक/विशिष्ट/अपर लोक अभियोजक (अभियोजन अधिकारी), राजस्थान।
6. श्री.आई.डी. (श्री.श्री.)/आर.पी.ए./जे.डी.ए.-1, 2, राज. पुलिस मु. जयपुर।
7. उप निदेशक अभियोजन (भु.) राजस्थान जयपुर।

विषय:- निदेशक अभियोजन द्वारा फिर अपने अचल सम्पर्क में विवादण को स्वयं के SSO-ID से लोग इन्हें दर्ज कर राज-काज संपर्क प्रोफाइल में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाइन रूप से भरने हेतु अपवाद
15 मार्च 2018 तक भेजा जाने के क्रम में।

प्रस्ताव:- कार्यक्रम (क-1)/गो.प्र./विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) / कार्यक्रम (क-1)/ गो.प्र./2011 दिनांक-27.12.2017 तथा 31 जानवरी 2018 व 15 फरवरी 2018 एवं 28 फरवरी 2018 के क्रम में।

कार्यक्रम (क-1)/गो. प्र.) विभाग के पत्रक्रम-13(76)/कार्यक्रम (क-1)/ गो.प्र./2011 दिनांक-27.12.2017 द्वारा राजस्थान में कार्यालय सभी राजस्थान अधिकारियों की अचल सम्पर्क का विवादण संबंधत परिपत्र/प्रक्रिया में निदेश गये विभिन्न क्रमांक के अनुसार पालना करना सुनिश्चित करें।

अभियोजन विभाग में कार्यालय सभी अधिकारी को देखा जा सकता है तथा अनुसार पालना करना सुनिश्चित करें। उनकी विभीषितता क्रमांक नहीं है तथा अपने अनुसार पालना करना सुनिश्चित करें। इसमें सही तथा अचल सम्पर्क का द्वारा नृत्य रुप से अपवाद में प्रविष्ट रुप से संकेतित किया है।

अनुपत्रित- देहरादून स्थित राजस्थान अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनादायक एवं आवेदक कार्यालय हेतु प्रस्ताव है।
1.-विशिष्ट शासन संचित, भृत्त (सु.प-10) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2.-कार्यक्रम (क-1)/गो. प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) कार्यक्रम (क-1)/ गो. प्र./2011 दिनांक 28.02.2018 के क्रम में।
3.-सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर उक्त समस्त को ई-मेल करते हुए इस प्रकार किती ही प्रदान करने के लिए कार्यालय द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करने के बावजूद प्रतिलिपि है।

माध्यम:- टेटी, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।

(स्वेर दीक्षित)
निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
समस्त राजस्थान अवधिकारियों द्वारा अपना अचल समाप्ति विवरण को स्थायी रूप से लौट इन कर राज–काज सीमान्तव्य के IPR MODULE द्वारा ऑनलाइन संरक्षित IPR भरने के साबध में।

कार्यक्रम कार्यक्रम द्वारा जारी पत्रिका दिनांक 27.12.17 के द्वारा राज्य में कार्यक्रम समस्त राजस्थान अवधिकारियों को वर्ष 2017 (1 जनवरी 2018 की शिखरता में ) अपना अचल समाप्ति विवरण SSO-ID से राज–काज सीमान्तव्य पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भर जाना बाध्य। अतः समाप्ति विवरण भरने हेतु सामान्यतः 15 मार्च 2018 तक करायी जाती है। साथ ही जिन अवधिकारियों द्वारा IPR मर्यादा समय सहानुसार गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गयी थी। वे सभी अवधिकारी इस अब्दत में संरक्षित प्रविष्टियां अंकित कर ऑन–लाइन संरक्षित IPR भर सकेंगे।

(अधिवेश्य पोषकाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजत है:—
1.प्रमुख सचिव, महामहिन राज्यपाल भवन,
2.प्रमुख सचिव, मान्यमव मुख्यमंत्री भवन,
3.विशेष उप सचिव, मुख्य सचिव,
4.समस्त अति मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव,
5.समस्त विभाग शाहीकार / निजी सचिव मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव,
6.समस्त संभागीय आयुक्त,
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला फलक्टेशन सहित),
8.विशेषायक सूचार (कॉर्मिंगकेन्द्र) विभाग अनुमान—7 कार्यालय सहित,
9.एनालिटिक—कम–प्रोजेक्ट, कार्यक्रम (सम्बत्तर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी भेजत है:—
1.सचिव, राजस्थान विभाग समा जयपुर,
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर,
3.परीक्षायक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर,
4.अधिकारिक पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीड़ा, जयपुर,
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर,